P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-III* November-2014
E: ISSN NO.: 2349 – 980X

# मानव व्यापार (तस्करी) एवं महिलाओं और बालकों का संरक्षण

**बी. पी. यादव**
विभागाध्यक्ष,
हिन्दी विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर

**सारांश**

मानव तस्करी किसी भी भारतीय विधि में व्यापक/सम्पूर्ण रूप से परिभाषित नही है। फिर भी अनेक कानून है जिनमें तस्करी के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है। मानव व्यापार मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित विधियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। भारतीय दण्ड सहिंता 1961, अनैतिक व्यापार/प्रतिशेध अधिनियम 1956 किशोर न्याय/बालकों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000, बन्धुआ मजदूरी व्यवस्था/उन्मूलन अधिनियम 1976 एवं स्त्री तथा लडकी/अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम 1956 इत्यादि।

**मुख्य शब्द :** मानव तस्करी, मानव व्यापार, बन्धुआ मजदूरी, अनैतिक व्यापार दमन, बालश्रम, बेगार, मानव दुर्व्यापार।

**प्रस्तावना**

भारतीय सविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बालश्रम को प्रतिसिद्ध करता है। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि उपबन्ध का उल्लघंन अपराध होगा एवं दण्डनीय होगा। अनुच्छेद 23 सरकार (राज्य) एवं प्राईवेट व्यक्तियों दोनो के विरूद्ध संरक्षण देता है। अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार से मनुष्यों के शोषण को वर्जित करता है। इस अनुच्छेद से भारतीय समाज के दो बड़े कलंक को समाप्त कर दिया, (1) नारी क्रय–विक्रय तथा (2) बेगार प्रथा भारतीय समाज कि गरीबी एवं अशिक्षा के कारण दोनो बुराई, कुरीतियों चली आ रही थी।

''मानव दुर्व्यापार'' एक बहुत ही व्यापक शब्दावली है। इसमें मनुष्यों या स्त्रीयों या बच्चों का वस्तुओ के गति क्रय–विक्रय ही शामिल नही है वरन इसमें स्त्रीयों और बालकों का अनैतिक व्यापार करना और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनो के लिए प्रयोग करना भी शामिल है। (राजबहादूर बनाम लीगल रिमेम्ब्रान्सर ए.आई. आर. 1953 कलकत्ता 532)

इसी तरह दुबर गोयला बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1953 कलकत्ता 496 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया की यद्यपि दास प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नही है किन्तु ''मानव दुर्व्यापार'' शब्दावली में यह निःसन्देह रूप से शामिल है।

गोवा चिन्डून्स एक्ट 2003 के धारा 2(2) के अनुसार ''सीमा के भीतर या उसके बाहर कानूनी या गैरकानूनी तरीके से बल प्रयोग की धमकी या बल प्रयोग या दबाव डालने के अन्य साधनों से अपहरण से प्रलोभन या धोखे में रखकर बल अथवा व्यक्तियों की कमजोरी स्थिति का दुरूपयोग कर या उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए धन या अन्य लाभ देकर या प्राप्त कर आर्थिक लाभ या किसी अन्य उद्देश्य से व्यक्तियों को हासिल करना नियुक्त करना, परिवहन करना, आश्रय देना, स्थानांतरित करना या प्राप्त करना मानव तस्करी के अन्तर्गत समाहित है। (तस्करी का अर्थ ही होता कि ऐसी चीजों का व्यापार करना जिनका व्यापार नही करना चाहियें जैसे ड्रग, हथियार इत्यादि)

मानव व्यापार लोगों के शोषण और व्यापार का अवैध रूप है और यह बहुत ज्यादा लाभप्रद, कमाई वाला है। इसमें बहुत कम जोखिम है। यह भारतीय परिवेश गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण इसमें खतरा कम है। और तस्करी किये गये व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या लगभग 95 प्रतिशत नियंत्रण संगठित अपराधियों द्वारा किया जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति (शिकार) बहुत लम्बे समय तक पीड़ित रहता है।

मानव दुर्व्यापार को पीड़ित को डराकर, धमकी देकर, बल का प्रयोग करके, दबाव डाल कर, अपहरण करके या पीड़ित के किसी अन्य कमजोरी का फायदा उठाकर या उसे बडे नगरों में, एक ऐसे आराम जिन्दगी का प्रलोभन देकर (छत्तीसगढ़ के रायगढ़ एवं जयपुर जिला के आदिवासी अचल में लड़कियो

को दिल्ली या बडे शहरों में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर बहला फुसला कर ले जाया जाता है। फिर अचानक वह से संपर्क टूट जाता है या घर से बिना माता पिता को बताये भगाकर ले जाया जाता है।) इस मानव व्यापार में पीड़ित को फिर एक ऐसे दुष्कर्म में डाल देते है। जहां उसका निकलना मुश्किल हो जाता है इसमे उनसे वैश्यावृत्ति,, यौन शोषण बलातश्रम, मानव आगे प्रत्यारोपण शामिल है इस प्रकार की तस्करी या मानव दुर्व्यावहार मुख्यतः दो उद्देदष्यो के लिए होता हैः–

1. यौन अवैध व्यापारः– बल, धोखा, छल के द्वारा एक महिला को व्यावसायिक यौन व्यापार में शामिल किया जाता है जिन्हें हम वेश्यालयों, डांसबार, मसाज पार्लर और अश्लील चित्रण इत्यादि में देख सकते है।
2. श्रम की तस्करी जिसमें धोंखा, बल, छल से एक व्यक्ति अनजानें मे ही या जितना उसे पैसा प्राप्त होना चाहिये और ज्यादा कम लेना या बंधक बनाकर काम लेना जैसा कि प्रायः ईट भटटा में काम बरने वाले दुसरे प्रदेश से लाये गये श्रमिकों के साथ किया जाता है।

नीरजा चौधरी बनाम मध्यप्रदेश राज्य 1984 3 ए0 सी0 243 के मामले मे यह निर्धारित किया गया है कि बान्डेड लेंबर सिस्टम (एबालिशन) अधिनियम 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बन्धुओं श्रमिकों को मुक्त करना ही नही वरन उनके पुर्नवास की उचित व्यवस्था करना है जिसके अभाव में वे फिर शोषण के शिकार हो सकते है। पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइटम बनाम भारत संघ ए0 आई0 आर0 1982 ए0सी0 1473 के प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत कर दिया है'' न्यायालय के निर्णय दिया ''बेगार'' से तात्पर्य ऐसे काम या सेवाओ से है जिसे किसी व्यक्ति से बलपूर्वक बलातश्रम बिना परिश्रमिक दिये लिया जाता है। अनुच्छेद 23 केवल ''बेगार'' ही नही बल्कि इसी प्रकार की कमी ''बलपूर्वक'' लिया जाने वाले कार्य को भी वर्जित करता है। क्योंकि इससे मानव की प्रतिष्ठा एवं गरिमा पर आघात पहुँचता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक प्रकार के बलातश्रम को वर्जित करता है और यह इन दोनो में कोई अन्तर नही करता कि बलातश्रम के लिये पारिश्रमिक दिया गया अथवा नहीं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरूद्ध या दबाव से कार्य करना पडता है तो भले ही उसे पारिश्रमिक मिला हो वह अनुच्छेद 23 के अधीन बलातश्रम माना जायेगा। बलातश्रम के अन्तर्गत शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव विधिक दबाव एवं आर्थिक दबाव भी सम्मलित है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के बालतश्रम को मानव गरिमा के विरूद्ध बताया है। अर्थात अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण और दैनिक स्वतंत्रता में सम्मलित हो गया है अर्थात् बलातश्रम या मानव व्यापार मानव गरिमा के विरूद्ध है अर्थात् मानव दुर्व्यहार अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण करता है। उच्चतम न्यायालय ने तो दीना बनाम भारत संघ के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया कि उचित पारिश्रमिक दिये बिना कैदियों से काम करना बलातश्रम है।

अन्तराष्ट्रीय परिपेक्ष में राष्ट्र संघ के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय दासत्व अभिसमय को 25 सितम्बर 1926 को अंगीकर किया गया था जिसमें अनुच्छेद 1 को परिच्छेद 1 के अन्तर्गत दासत्व को किसी व्यक्ति की एक ऐसी प्रास्थिति या दशा के रूप में परिभाषित किया गया था जिस पर स्वामित्व के अधिकार से जुड़ी हुई शक्तियों में से किसी या सभी का प्रयोग किया जाता है। दासत्व, दास व्यापार और दासत्व के ही समान प्रचलन एवं संस्थाओं को उम्नूलन का अनूपूरक अभिसमय, आर्थिक और समाजिक परिषद् द्वारा आयोजित दूतों के सम्मेलन द्वारा अंगीकर किया गया और इसे 7 सितम्बर 1956 को जेनेवा में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया (आर्थिक और सामाजिक परिषद संकल्प 608 (21) उपं अभिसमय 30 अप्रैल 1957 को प्रवृत हुआ और 31 अक्टूबर 1999 तक इसके 118 राज्य पक्षकार बन चुके है।

इसी तरह बलातश्रम को समाप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपना लक्ष्य बनाया। श्रम संगठन के द्वाराः–

बलात्श्रम से सम्बन्धित अभिसमय 1930 में अंगीकार किया गया। बाद में इसका दमन करने हेतु बलातश्रम के उन्मूलन के लिये एक अभिसमय बनाया गया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मे साधारण सम्मेलन द्वारा 25 जून 1957 को अंगीकर किया गया। अभिसमय 17 जनवरी 1959 को लागू हुआ किया गया। परन्तु अभिसमय बलातश्रम को विनष्ट करने में प्रभावी नही रहा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2001 में किया गया एक अध्ययन जिसका शीर्षक बलातश्रम को समाप्त करना था, इस बात का खुलासा करता है कि सारे विश्व में बालतश्रम की वृद्धि हुई है। एवं इसकी उभरती हुई तस्वीर वहां देखी जा सकती है। जहां समाज को सर्वाधिक आरक्षित सदस्य, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चो की दसता, दमन एवं शोषण किसी अर्थ मे अतीत तथ सिमित नही है। वरण आज भी विश्व में देख जा सकता है।

मूलर बनाम ओरेगन 12 एल.ए.551 के मामलें में अमरीकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अस्तित्व को संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति मे कर देते है। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का निमूणता को सुरक्षित रखा जा सके। यही कारण है कि महिलाओं के लिए कई विशेष विधियो बनाई गई है।

अब एक नजर महिलाये एवं बालको या मानव दुर्व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्न अपराधिक आकंडो पर प्रकाश डालते है क्योंकि मुख्यता विधि पूर्ण संरक्षता से अवयस्क का व्यपहारण एवं किसी व्यक्ति का अपहरण के रूप में अलग से दर्शाये गये में आकंडे क्राईम इन इण्डिया के बेबसाईट से लिये गये है।

निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि महिलओं और बालको से सम्बन्धित सिर्फ व्यवहरण एवं अपहरण से सम्बन्धित निम्न आकडो पर जो दोषी प्रतिशत है वह दण्ड सहिंता के कुल अपराधों के दोषी प्रतिशत से काफी कम है।

| वर्ष | भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल अपराध | दोषी प्रतिशत | व्यापहरण के एवं अपहरण के मामले | दोशी प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1718120 | 40.1 | 19992 | 26.1 |
| 2004 | 1832015 | 42.5 | 23327 | 27.3 |
| 2005 | 1822602 | 42.4 | 15750 | 26.3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1878293 | 42.9 | 23991 | 26.7 |
| 2007 | 1989673 | 42.3 | 27561 | 25.0 |
| 2008 | 2093379 | 42.6 | 30261 | 27.1 |
| 2009 | 2121345 | 41.7 | 33860 | 26.8 |

उप्र की तालिका से यह स्पष्ट है कि कालम 3 वर्णित अपराधों में जो अपराधियों को सजा हुई है वह व्यपहरण एवं (अपहरण) क मामले में कॉलम 5 वर्णित अपराधियों के सजा पाने में काफी कम है।

अगर कुल अपराधी के मामले मे वर्ष 2003 में जहॉ दण्ड संहिता में 40.1 प्रतिशत मामले में सजा हुई वहॉ व्यपहरण एवं अपरहरण के मामले में 26 प्रतिशत सजा हुई। पर इसी प्रकार का अन्तर वर्ष 2003 से 2009 तक है। प्रायः 14 से 15 प्रतिशत के बीच अन्तर है। अतः स्पष्ट है कि अगर वर्णीत आंकड़े स्पष्ट कर रहे है कि व्यपहरण एवं अपहरण के मामले में अपराधी 15 प्रतिशत तक कम सजा पाते है कुल अपराधों की तुलना में। अगर हमें महिलाओं और बालकों के प्रति अपराध रोकना है तो यह प्रतिशत 80 से अपर ले जाना होगा। तभी हम मानव व्यापार पर रोक लगाने पर सक्षम होगें।

**मानव व्यापार या तस्करी के कुछ महत्वपूर्ण कारण है**

1. गरीबी और आर्थिक कमजोरी दुर्बलता/दुर्भाग्य
2. अमीरों और गरीबों में बढ़ता अंतराल वेश्यावृत्ति के लिये अंनत मांग
3. यात्रा सेवाओं में वृद्धि
4. मुक्त व्यापार परन्तु तस्करी रोकने के लिये प्रभावी प्रशासन अपराधियों का बढ़ता ने 20 वर्ष (संगठित अपराध) पीड़ित के यौन एवं असहयोग के कारण अभियोजित करने में कठिनाई।

कुछ सामाजिक कारण निम्न प्रकार से है :–

शिक्षा की कमी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में कठोर/, असमान्य परिवार/वातावरण जिसमें टूटी शादी भी, होगा महिलाओं की सामान्य विधिक स्थिति हिंसा, में वृद्धि विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध संयुक्त परिवार का टूटना जिससे सामाजिक सुरक्षा में कमी, यौन क्रांति/आजादी जिसके कारण पेसों के लिये यौन सम्बन्ध बानाना, सामान्य व्यवहार हो जाना, बाहरी कारण जैस प्राकृतिक आपदा जैसे, सुरक्षा, अकाल, भूकम्प, युद्ध बाढ़ इत्यादि।

इस प्रकार यह देखा गया है। कि सामाजिक परिवर्तन, परिवार में परिर्वतन सूचना क्रांति, अप्रभावी प्रशासन इत्यादि कुछ मुख्य कारण है जिसमें इस प्रकार के मानव व्यापार में कमी के बजाये वृद्धि हो रही है।

**वाद**

1. राजबहादुर बनाग लीगम रिमेम्शान्स ए0आई0आर0 1953 कलकत्ता 532.
2. दुबर गोयला बनाम भारत संध ए0आई0आर0 1952 कलकत्ता 496
3. नीरजा चौधरी बनाम म0प्र0 राज्य 1984 एस0सी0 243.
4. पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइटस बनाम भारत संघ ए0 आई0आर01982.
5. मूलर बनाम ओरेगन, 12 एल.ए. 551
6. दीना. बनाम भारत संघ ए0आई0आर0 1983 एस0सी0 1155

**सन्दर्भ**

1. क्राइम इन इण्डिया से आंकड़े प्राप्त किये गये।
2. जय नारायण पाण्डेय–भारत का संविधान
3. डी. डी. बासु–भारत का संविधान।
4. डॉ0 एच ओ0 अग्रवाल–मानव अधिकार।
5. अंजनीकांत–महिला एवं बाल कानून
6. डॉ मुरलीधर चतुर्वेदी अपराधषास्त्र एवं दण्ड शास्त्र
7. डॉ0 बसन्तीलाल बाबेल–विधि एवं सामाजिक परिवर्तन
8. डॉ0 डी0 एस0 बघेल, अपराध षास्त्र
9. डॉ0 वी0 एन0 परांजये–अपराध षास्त्र एवं दण्ड शास्त्र